

# महत्वपूर्ण वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां (दिसम्बर, 2008 से 31 मार्च, 2012 तक)

## 1 नीतिगत निर्णय एवं उनकी आदिनांक क्रियान्विति की स्थिति

क्र.सं.	नीतिगत निर्णय	क्रियान्विति की वर्तमान स्थिति
1	2000 राजकीय माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आई.सी.टी. योजना प्रारंभ	आई.सी.टी. योजनान्तर्गत प्रथम चरण में 2500 राउमावि में तथा द्वितीय चरण में योजनान्तर्गत 2000 राउमावि/रामावि में कम्प्यूटर शिक्षा संचालित की जा रही हैं। कुल 4500 विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है एवं इनमें हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर स्थापित कर दिये गए हैं। आई.सी.टी. तृतीय चरण अतिशीघ्र इसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इस योजनान्तर्गत कुल 2000 विद्यालयों में से 1950 राउमावि/रामावि तथा 50 संस्कृत शिक्षा के विद्यालय प्रस्तावित है। कुल 2000 विद्यालयों का चिन्हिकरण कर लिया गया है निविदा हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2	कक्षा 10 एवं 12 में सत्रांक 10 के स्थान पर 20 एवं परीक्षा अवधि में बदलाव	<p>माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाओं में सत्रांक 10 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत करने का निर्णय लिया जाकर वर्ष 2009 की परीक्षा से लागू कर दिये गये। सत्र 2011-12 में भी यह व्यवस्था लागू रहेगी।</p> <p>माध्यमिक स्तर पर प्रश्न पत्रों की समयावधि 2 घण्टे 30 मिनट से बढ़ाकर 03 घण्टे 15 मिनट करके वर्ष 2009 की परीक्षा से लागू की गई एवं परीक्षा मार्च-अप्रैल, 2009 में आयोजित की गई। वर्ष 2010 में भी इसी समयावधि के अनुरूप परीक्षा आयोजित की गई। वर्ष 2011-12 में भी इसी समयावधि के अनुरूप परीक्षा आयोजित हुई।</p>
3	ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय तथा विभिन्न रोजगारोन्मुखी / व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत।	राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 09-10 के बजट में 500 रा.उ.मा.वि. में विज्ञान/वाणिज्य संकाय शुरू करने की बजट घोषणा की गई जिसके लिए 1000.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। जिसके अन्तर्गत 300 विद्यालयों में विज्ञान संकाय, 167 विद्यालयों में वाणिज्य संकाय एवं 33 विद्यालयों में कृषि संकायों को खोले जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हुए जिनमें से 279 में विज्ञान, 187 में वाणिज्य एवं 34 विद्यालय में कृषि विषय खोले जा चुके हैं। नोट:-सत्र 2011-12 से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कृषि संकाय को समाप्त कर कृषि को विषय के रूप में लागू किया जा चुका है।
4	साईकिल वितरण की स्थिति	साईकिल वितरण योजना :- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 में कुल 141444 साईकिलों का वितरण किया जा चुका है।
5	नाबार्ड योजना	कार्य पूर्ण करवाए जा चुके हैं।

6	बालिका छात्रावास	<p>1.गत 2 वर्षों में राज्य के 186 ई.बी.बी. में बालिका छात्रावास निर्माण की 3 चरणों में स्वीकृति प्राप्त ।</p> <p>2.अब तक 74 बालिका छात्रावास निर्माण के लिए पूरी राशि तथा शेष 112 छात्रावासों के निर्माण की प्रथम किश्त के रूप में कुल मिलाकर 5663.10 लाख रुपये प्राप्त ।</p> <p>3.बालिका छात्रावासों का प्रगति विवरण इस प्रकार है:-</p> <table border="1" data-bbox="591 389 2157 536"> <thead> <tr> <th>कुल स्वीकृत</th> <th>निर्मित छात्रावासों की संख्या</th> <th>निर्माणाधीन छात्रावासों की संख्या</th> <th>शेष छात्रावासों की संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>186</td> <td>62</td> <td>63</td> <td>61</td> </tr> </tbody> </table> <p>4.अब तक 49 बालिका छात्रावासों में छात्राओं को प्रवेश देकर इन्हें प्रारंभ किया जा चुका है ।</p> <p>5.इन छात्रावासों पर अब तक कुल 3691.99 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं ।</p>	कुल स्वीकृत	निर्मित छात्रावासों की संख्या	निर्माणाधीन छात्रावासों की संख्या	शेष छात्रावासों की संख्या	186	62	63	61
कुल स्वीकृत	निर्मित छात्रावासों की संख्या	निर्माणाधीन छात्रावासों की संख्या	शेष छात्रावासों की संख्या							
186	62	63	61							
7	मॉडल स्कूल स्थापना	<p>1.गत 2 वर्षों में राज्य के 186 ई.बी.बी. में बालिका छात्रावास निर्माण की 2 चरणों में स्वीकृति प्राप्त ।</p> <p>2.अब तक 134 मॉडल स्कूलों के निर्माण हेतु केन्द्र व राज्य सरकार से कुल 17220.20 लाख रुपये प्राप्त ।</p> <p>3.मॉडल स्कूलों के निर्माण का प्रगति विवरण इस प्रकार है:-</p> <table border="1" data-bbox="591 951 2157 1098"> <thead> <tr> <th>कुल स्वीकृत</th> <th>सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्माण हेतु हस्तान्तरित मॉडल स्कूलों की संख्या</th> <th>कार्य प्रारंभ होने की स्थिति में प्रक्रियाधीन मॉडल स्कूलों की संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>134</td> <td>73</td> <td>61</td> </tr> </tbody> </table> <p>4.इन मॉडल स्कूलों के निर्माण पर अब तक कुल 7411.70 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं ।</p>	कुल स्वीकृत	सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्माण हेतु हस्तान्तरित मॉडल स्कूलों की संख्या	कार्य प्रारंभ होने की स्थिति में प्रक्रियाधीन मॉडल स्कूलों की संख्या	134	73	61		
कुल स्वीकृत	सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्माण हेतु हस्तान्तरित मॉडल स्कूलों की संख्या	कार्य प्रारंभ होने की स्थिति में प्रक्रियाधीन मॉडल स्कूलों की संख्या								
134	73	61								
8	ट्रांसपोर्ट वाउचर	<p>इस कार्य हेतु वर्ष 2011-12 में जो बजट प्रावधान रखा गया था उसमें से विद्यालयों की मांग के अनुरूप बजट राशि 100.00 लाख आवंटित कर दी गई है । इस योजना के अन्तर्गत अब तक 27793 छात्राएं लाभान्वित हो चुकी हैं एवं अतिरिक्त बजट राशि 20.28 लाख स्वीकृत हुई है जिसको सभी जिशिअ. को आनुपातिक रूप से आवंटित कर दी गई है ।</p>								
9	गार्गी पुरस्कार	<p>यह योजना वर्ष 1998 से प्रारम्भ की गई थी । योजना अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित सैकण्डरी</p>								

		<p>एवं प्रवेशिका परीक्षा में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत रहने पर प्रतिवर्ष 1500 रुपये एवं प्रमाण-पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्रतिवर्ष बसन्त पंचमी को समारोह आयोजित किया जाता है। गार्गी पुरस्कार हेतु राशि आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। पुरस्कार राशि वर्ष 2008 से बढ़ाकर 1500/- प्रति बालिका कर दी गई इससे पूर्व यह पुरस्कार राशि 1000 रुपये थी। वर्ष 2009-10 में लाभान्वित छात्राओं की संख्या 17724 एवं वितरित की जाने वाली राशि 265.86 लाख रुपये व 2010-11 में लाभान्वित छात्राओं की संख्या 21802 एवं वितरित की जाने वाली राशि 327.03 लाख रुपये व वर्ष 2011-12 में लाभान्वित छात्राओं की संख्या एवं वितरित की जाने वाली राशि का विवरण निम्नानुसार है :-</p> <table border="1" data-bbox="622 459 2139 558"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>लाभान्वित होने वाली छात्राओं की संख्या</th> <th>कुल वितरित राशि(रुपये लाखों में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011-12</td> <td>26078</td> <td>391.17*</td> </tr> </tbody> </table> <p>*वर्ष 2011-12 की राशि का वितरण बसंत पंचमी दिनांक 28 जनवरी 2012 के दिन बालिका शिक्षा फाउन्डेशन द्वारा किया जा चुका है।</p>	वर्ष	लाभान्वित होने वाली छात्राओं की संख्या	कुल वितरित राशि(रुपये लाखों में)	2011-12	26078	391.17*
वर्ष	लाभान्वित होने वाली छात्राओं की संख्या	कुल वितरित राशि(रुपये लाखों में)						
2011-12	26078	391.17*						
10	निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण	सत्र 2011-12 हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर को कक्षा 9 से 12 तक निः शुल्क पुस्तकें वितरण की गई। जिसका भुगतान 16,83,60,297.00(अखरे रुपये सोलह करोड़ जियांसी लाख साठ हजार दौ सौ सत्यानवे रुपये मात्र) दिनांक 19.01.2012 को किया जा चुका है शेष भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।						

## माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत छात्रवृत्तियाँ

(UP TO 01-03-2012)

क्र.सं.	छात्रवृत्ति	कक्षा	पात्रता	आय सीमा	दर																				
1	अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति विमुक्त एवं घुमन्तु जाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (साधारण)	6 से 10	अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति विमुक्त एवं घुमन्तु जाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राएं	आयकर दाता न हो  44,500/- तक	अनु0 जाति/ अनु0 जन जाति कक्षा 6 से 8 तक छात्र 15 रु छात्रा 75 रु मासिक (10 माह के लिए) कक्षा 9 से 10 छात्र 30 रु. छात्रा 100 रु. मासिक (10 माह के लिए) <b>अन्य पिछड़ा वर्ग (सी.एस.एस.)</b> कक्षा 6 से 8 छात्र/छात्रा मासिक 40 रु. (10 माह के लिए) कक्षा 9 से 10 छात्र/छात्रा मासिक 50 रु. (10 माह के लिए)																				
2	अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति (साधारण)	11 व 12	अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएं	अ.जा. 2,00,000/- अजजा 2,00,000/- अपिव 1,00,000/-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">छात्रवृत्ति कक्षा 11 व 12</th> <th style="width: 30%;">छात्रावासी रुपये मासिक</th> <th style="width: 30%;">डेस्कालर रुपये मासिक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अनुसुचित जाति</td> <td style="text-align: center;">380.00</td> <td style="text-align: center;">230.00</td> </tr> <tr> <td>अनु.जन जाति</td> <td style="text-align: center;">380.00</td> <td style="text-align: center;">230.00</td> </tr> <tr> <td>अन्य पिछड़ा वर्ग</td> <td style="text-align: center;">260.00</td> <td style="text-align: center;">160.00</td> </tr> </tbody> </table>	छात्रवृत्ति कक्षा 11 व 12	छात्रावासी रुपये मासिक	डेस्कालर रुपये मासिक	अनुसुचित जाति	380.00	230.00	अनु.जन जाति	380.00	230.00	अन्य पिछड़ा वर्ग	260.00	160.00								
छात्रवृत्ति कक्षा 11 व 12	छात्रावासी रुपये मासिक	डेस्कालर रुपये मासिक																							
अनुसुचित जाति	380.00	230.00																							
अनु.जन जाति	380.00	230.00																							
अन्य पिछड़ा वर्ग	260.00	160.00																							
3	अल्प संख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित योजना)	1 से 10	मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध व फारसी अल्प संख्यक समुदाय की छात्र/छात्रा	1,00,000/-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">मद</th> <th style="width: 5%;">कक्षा</th> <th style="width: 35%;">छात्रावासी</th> <th style="width: 35%;">गैर छात्रावासी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्रवेश शुल्क</td> <td>6 से 10</td> <td>500 रुपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो)</td> <td>500 रुपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो)</td> </tr> <tr> <td>शिक्षण शुल्क</td> <td>6 से 10</td> <td>350 रुपये प्र0माह या वास्तविक (जो भी कम हो) 10 माह के लिए</td> <td>350 रुपये प्र0माह या वास्तविक (जो भी कम हो) 10 माह के लिए</td> </tr> <tr> <td>रख रखाव भत्ता</td> <td>1 से 5</td> <td>शून्य</td> <td>100 रुपये प्रति माह (दस माह के लिए)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6 से 10</td> <td>600 रुपये प्रति माह या वास्तविक(जो भी कम हो)</td> <td>100 रुपये प्रति माह (दस माह के लिए)</td> </tr> </tbody> </table>	मद	कक्षा	छात्रावासी	गैर छात्रावासी	प्रवेश शुल्क	6 से 10	500 रुपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो)	500 रुपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो)	शिक्षण शुल्क	6 से 10	350 रुपये प्र0माह या वास्तविक (जो भी कम हो) 10 माह के लिए	350 रुपये प्र0माह या वास्तविक (जो भी कम हो) 10 माह के लिए	रख रखाव भत्ता	1 से 5	शून्य	100 रुपये प्रति माह (दस माह के लिए)		6 से 10	600 रुपये प्रति माह या वास्तविक(जो भी कम हो)	100 रुपये प्रति माह (दस माह के लिए)
मद	कक्षा	छात्रावासी	गैर छात्रावासी																						
प्रवेश शुल्क	6 से 10	500 रुपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो)	500 रुपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो)																						
शिक्षण शुल्क	6 से 10	350 रुपये प्र0माह या वास्तविक (जो भी कम हो) 10 माह के लिए	350 रुपये प्र0माह या वास्तविक (जो भी कम हो) 10 माह के लिए																						
रख रखाव भत्ता	1 से 5	शून्य	100 रुपये प्रति माह (दस माह के लिए)																						
	6 से 10	600 रुपये प्रति माह या वास्तविक(जो भी कम हो)	100 रुपये प्रति माह (दस माह के लिए)																						

4	अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	1 से 10	अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के छात्र व छात्राएं (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति)	—	छात्रावासी डेस्कालर कक्षा 1 से 2 ..... 110 रुपये मासिक कक्षा 3 से 10 700 रुपये 110 रुपये मासिक डेस्कालर को 750 एवं छात्रावासी को 1000 रुपये वार्षिक अनुदान
5	करगिल युद्ध में अर्थात् 01.04.99 के पश्चात् युद्धों में शहीद/स्थायी विकलांग हुए सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति	1 से 12	01.4.99 के पश्चात् हुए युद्धों में शहीद/स्थायी विकलांग सैनिकों के सभी अध्ययनरत पुत्र व पुत्रियां	—	कक्षा 1 से 12 तक 180 रुपये मासिक (10 माह)
6	प्री-करगिल युद्धों अर्थात् 01.4.99 से पूर्व युद्धों में शहीद/स्थायी विकलांग के आश्रितों को छात्रवृत्ति	1 से 12	01.4.99 सू पूर्व युद्धों में शहीद/स्थायी विकलांगों के सभी आश्रित एवं अध्ययनरत छात्र/छात्राएं	—	कक्षा 1 से 12 तक 180/- रुपये मासिक कुल 1800/- रुपये (10 माह के लिए)
7	भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति	11 व 12	55 प्रतिशत प्राप्तांको से सैकण्डरी उत्तीर्ण पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियां	—	कक्षा 11 व 12 तक, 100 रुपये मासिक (10 माह)
8	मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना	3 से 12	राजस्थान राज्य के मृत कर्मचारियों के पुत्र व पुत्री	आयकर दाता नहीं	कक्षा 3 से 5 तक, 10 रुपये मासिक कक्षा 6 से 12 तक, 15 रुपये मासिक
9	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र व छात्राओं को दी जाने वाली विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (विभागीय योजना)	कक्षा 6 से प्रवेश तथा नवीनीकरण कक्षा 12 तक (परीक्षा के माध्यम से प्रवेश)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 1100 छात्र व छात्राओं हेतु जिनके गत कक्षा में 50 प्रतिशत अंक हो। चयन के लिए पात्र होंगे। इनका परिवार आयकर दाता नहीं हो।	आयकर दाता नहीं	37 विशेष उच्च प्रतिष्ठित शाला में अध्ययन करने के लिए समस्त खर्चे संबंधित संस्था के प्रोस्पेक्ट्स अनुसार न्यूनतम एवं आवश्यक हो। राज्य सरकार द्वारा व्यय किये जाते हैं। जिसमें डेस्कालर व दात्रावास दोनो प्रकार के विद्यालय सम्मिलित हैं। निःशुल्क आवास, भोजन व्यय भी सम्मिलित है।

10	भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली संस्कृत छात्रवृत्ति (भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना)	9 से 12	कक्षा 8 संस्कृत सहित उत्तीर्ण हो, न्यूनतम 50: अंक अर्जित किए हो व कक्षा 11 से 12 के छात्र जिन्होंने ऐच्छिक विषय संस्कृत लिया हो।	—	कक्षा 9 से 10 तक 250 रु. तथा कक्षा 11 से 12 तक 300 रु. प्रतिमाह की दर से 10 माह की छात्रवृत्ति देय। प्रति जिला कक्षा 9 से 12 तक 50-50 छात्रवृत्तियाँ देय।
11	अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली विशेष छात्रवृत्ति (टी.ए.डी. के माध्यम से)	कक्षा 6 से प्रवेश तथा नवीनीकरण कक्षा 12 तक (परीक्षा के माध्यम से प्रवेश)	अनुसूचित जनजाति के 200 छात्र व छात्राओं हेतु जिनके गत कक्षा में 50 प्रतिशत अंक हो। आवेदन के लिए पात्र होंगे तथा इनका परिवार आयकर दाता नहीं हो। चयन परीक्षा के आधार पर	आयकर दाता नहीं	37 विशेष उच्च प्रतिष्ठित शाला में अध्ययन करने के लिए समस्त खर्चे संबंधित संस्था के प्रोस्पेक्टस अनुसार न्यूनतम एवं आवश्यक हो। राज्य सरकार द्वारा व्यय किये जाते हैं। जिसमें डेस्कालर व छात्रावास दोनो प्रकार के विद्यालय सम्मिलित हैं। निःशुल्क आवास, भोजन व्यय भी सम्मिलित हैं।
12	अनुसूचित जाति/जनजाति प्रतिभा विकास कार्यक्रम योजना (भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना)	कक्षा 9 व 10 से 12 तक का पुनः नवीनीकरण	कक्षा 8 उत्तीर्ण शहरी/ ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय का नियमित छात्र	आयकर दाता नहीं	चयनित 3 विद्यालय में छात्रावास का न्यूनतम व्यय विशेष कोचिंग, पुस्तके, प्रयोगशाला की अतिरिक्त सुविधाएं।
13	अनुसूचित जाति/जनजाति की योग्यता अभिवृद्धि हेतु एस.आई.ई.आर.टी. के माध्यम से शिविर का आयोजन	कक्षा 9	कक्षा 8 उत्तीर्ण ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय का नियमित छात्र	आयकर दाता नहीं	शिविर में चयनि प्रत्येक जिले से 10 छात्राओं को प्रतिमाह 200 रुपये की दर से छात्रवृत्ति।

14	जीवन बीमा निगम के माध्यम से पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के तहत बी.पी.एल. परिवार के दो बच्चों को छात्रवृत्ति कार्यकारी एजेन्सी 1-शहरी क्षेत्र-नगर निगम/नगरपालिका 2-ग्रामीण क्षेत्र-ग्राम पंचायत	9 से 12	बी.पी.एल. परिवार के अधिकतम दो बच्चों को देय है (छात्र/छात्रा सहित)।	—	कक्षा 9 से 12 तक प्रति माह 100 रुपये (12 माह के लिए)
15	अत्यन्त निर्धनता छात्रवृत्ति योजना	6 से 12	जिन छात्र-छात्राओं के पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2500 रुपये से अधिक न हो	2500 /—	कक्षा 6 से 10 तक, 10 रुपये मासिक कक्षा 11 से 12 तक, 15 रुपये मासिक
16	देवनारायण योजना अन्तर्गत विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र व छात्राओं को दी जाने वाली विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (विभागीय योजना)	कक्षा 6 से प्रवेश तथा नवीनीकरण कक्षा 12 तक (परीक्षा के माध्यम से प्रवेश)	विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र व छात्राओं हेतु जिनके गत कक्षा में 50 प्रतिशत अंक हो। चयन के लिए पात्र होंगे। इनका परिवार आयकर दाता नहीं हो।	आयकर दाता नहीं	37 विशेष उच्च प्रतिष्ठित शाला में अध्ययन करने के लिए समस्त खर्चे संबंधित संस्था के प्रोस्पेक्ट्स अनुसार न्यूनतम एवं आवश्यक हों। राज्य सरकार द्वारा व्यय किये जाते हैं। जिसमें डेस्कालर व दात्रावास दोनो प्रकार के विद्यालय सम्मिलित हैं। निःशुल्क आवास, भोजन व्यय भी सम्मिलित है।

17	<p>विशेष पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. बनजारा, बालदिया, लावाना।</li> <li>2. गाडिया-लोहार, गाडोलिया</li> <li>3. गुंजर, गुर्जर</li> <li>4. राईका, रैबारी (देबासी)</li> </ol>	कक्षा 6 से 10	<p>1.विशेष पिछड़ी जाति की सूची में जाति का शामिल होना अनिवार्य है।</p> <p>2.छात्र/छात्रा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त विद्यालयों से कक्षा 6 से 10 तक में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत रहे हो।</p> <p>3.छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।</p>	1,44,000 /-	<table border="1" data-bbox="1323 568 2002 758"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>वर्ग</th> <th>कक्षा</th> <th>दरें (10माह हेतु)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>छात्र</td> <td>6 से 8</td> <td>40/- प्र.माह</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>छात्रा</td> <td>6 से 8</td> <td>75/- प्र.माह</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>छात्र</td> <td>9 से 10</td> <td>50/- प्र.माह</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>छात्रा</td> <td>9 से 10</td> <td>100/- प्र.माह</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10माह हेतु)	1	छात्र	6 से 8	40/- प्र.माह	2	छात्रा	6 से 8	75/- प्र.माह	3	छात्र	9 से 10	50/- प्र.माह	4	छात्रा	9 से 10	100/- प्र.माह
क्र.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10माह हेतु)																						
1	छात्र	6 से 8	40/- प्र.माह																						
2	छात्रा	6 से 8	75/- प्र.माह																						
3	छात्र	9 से 10	50/- प्र.माह																						
4	छात्रा	9 से 10	100/- प्र.माह																						

18	<p>विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. बनजारा, बालदिया, लावाना।</li> <li>2. गाडिया-लोहार, गाडोलिया</li> <li>3. गुंजर, गुर्जर</li> <li>4. राईका, रैबारी (देबासी)</li> </ol>	कक्षा 11 से 12	<p><b>I.</b> छात्र राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।</p> <p><b>II.</b> विशेष पिछड़ा वर्ग [1 बनजारा, बालदिया, लावाना। 2. गाडिया-लोहार, गाडोलिया 3. गुंजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)] के विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विशेष पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।</p> <p><b>III.</b> आय प्रमाण-पत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। नियोजित माता पिता/संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी हो।</p> <p><b>IV.</b> इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र कोई अन्य छात्रवृत्ति/वृत्तिका नहीं लेंगे।</p> <p><b>V.</b> एक ही माता पिता/संरक्षक के सभी बच्चे इस योजना से लाभान्वित होने के पात्र होंगे।</p>	1,08,000 /- प्रतिवर्ष	<table border="1" data-bbox="1303 587 1939 751"> <thead> <tr> <th>छात्रवृत्ति कक्षा 11 व 12</th> <th>छात्रावासी रुपये मासिक</th> <th>डेस्कालर रुपये मासिक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>विशेष पिछड़ा वर्ग</td> <td>235.00</td> <td>140.00</td> </tr> </tbody> </table>	छात्रवृत्ति कक्षा 11 व 12	छात्रावासी रुपये मासिक	डेस्कालर रुपये मासिक	विशेष पिछड़ा वर्ग	235.00	140.00
छात्रवृत्ति कक्षा 11 व 12	छात्रावासी रुपये मासिक	डेस्कालर रुपये मासिक									
विशेष पिछड़ा वर्ग	235.00	140.00									

महत्वपूर्ण उपलब्धियों के अन्तर्गत लाभान्वित वर्गवार यथा अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए किये गये प्रयास तथा अर्जित विशेष उपलब्धियों का विवरण सत्र 2011-12 के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियों में स्वीकृत राशि, व्यय एवं लाभान्वितों का विवरण (अनुमानित राशि एवं छात्र संख्या)

क्र. सं.	छात्रवृत्ति	मद	स्वीकृत प्रावधान 2011-12 (रुपये लाखों में)	अब तक व्यय राशि	लाभान्वित छात्रों की संख्या		
					छात्र	छात्रा	योग
1	अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक	PLAN	840.50	831.12	167818	113726	281544
		NON-PLAN	1190.00	1176.34	132627	90748	223375
		<b>TOTAL</b>	2030.50	2007.46	300445	204474	504919
2	अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक	PLAN	768.50	752.08	156106	113751	269857
		NON-PLAN	820.00	794.35	62516	52218	114734
		<b>TOTAL</b>	1588.50	1546.43	218622	165969	384591
3	अन्य पिछड़ावर्ग पूर्व मैट्रिक	PLAN	400.00	312.25	70206	50294	120500
		NON-PLAN	76.40	7563	14355	9937	24292
		CSS	400.00	308.68	46437	29271	75708
		<b>TOTAL</b>	876.40	696.56	131298	89502	220800
4	अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	PLAN	518.61	518.55	--	--	0
		CSS	1555.83	1547.48	--	--	0
		<b>Total</b>	2074.44	2066.03			147850
5	प्री-कारगिल(01.04.1999 से पूर्व) शहीद/स्थाई विकलांग सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति	PLAN	2.00	0.43			24
6	भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को छात्रवृत्ति	NON-PLAN	3.60	0.51			51
7	कारगिल(01.04.1999 के पश्चात्) शहीद/स्थाई विकलांग सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति	NON-PLAN	10.00	4.00			222
	मृत राज्य कर्मचारी आश्रित छात्रवृत्ति						
	अत्यन्त निर्धनता छात्रवृत्ति						

8	अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक	PLAN	1600.00	1574.29	65799	36187	101986
		CSS	--	--	--	--	0
		Total	1600.00	1574.29	65799	36187	101986
9	अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक	PLAN	1000.00	994.80	54032	31991	86023
10	अस्वच्छकार छात्रवृत्ति पूर्व मैट्रिक	PLAN	301.21	110.55	512	3730	4242
		CSS	1459.27	1446.58	--	--	Not received
		Total	1760.48	1557.13	512	3730	4242
11	देव नारायण विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक	Plan	250.00	208.67	12760	4617	17377
12	अन्य पिछड़ी जाति उत्तर मैट्रिक	CSS	600.00	538.46	41266	25150	66416
13	विशेष पिछड़ा वर्ग (पूर्व मैट्रिक)	Plan	430.00	375.80	--	--	Not received

नोट: —

- छात्रवृत्ति : माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जाति, जनजाति, सीमान्त एरिया एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु कुल 4250.45 लाख तथा अस्वच्छकार पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्तर्गत 1557.13 लाख का वितरण किया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति में 538.46 लाख तथा देवनारायण उत्तर मैट्रिक में 208.67 लाख का वितरण किया गया।
- राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को सत्र 2009-10 में 60,318 एवं सत्र 2010-11 में 58,998 छात्रों को प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रदान की गई। सत्र 2011-12 में लगभग 1,47,850 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जावेगी।

3 विभाग की गतिविधियों / उपलब्धियों / योजनाओं के बारे में विभिन्न विशिष्ट / व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा की गई प्रशंसा / पुरस्कार

—सूचना शून्य—

## 4 विभाग द्वारा किये गये अभिनव प्रयोग / नवाचार एवं क्रियान्विति

क्रं.सं.	लागू किया गया नवाचार	वर्तमान प्रगति
1	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	<p>1. अब तक 2009-10 से 2011-12 तक कुल तीन वार्षिक योजनाओं को भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त।</p> <p>2. अब तक 951 विद्यालयों में सिविल निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु 103.58 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त। इस राशि से 230 विद्यालयों में कक्षा कक्षों का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं 253 विद्यालयों में कार्यादेश की प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है। जिन विद्यालयों में कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं उनके निर्माण हेतु राशि का आवंटन किया जा चुका है। अब तक कुल 810 कक्षा-कक्षों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।</p> <p>3. गत तीन वार्षिक योजनाओं में अब तक 118.54 करोड़ की राशि विद्यालय वार्षिक अनुदान मद हेतु राज्य के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में वितरित। इस राशि का उपयोग विद्यालय अपनी विविध आवश्यकताओं यथा बिजली, टेलीफोन, इण्टरनेट बिल, पत्र पत्रिकाएँ पुस्तकें खरीदने खेल उपकरण तथा लैक उपकरण खरीदने में कर सकते हैं।</p> <p>4. गत दो वर्षों में माईनर रिपेयर मद में 36.5 करोड़ की राशि राज्य के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक/ माध्यमिक विद्यालयों को वितरित। इस राशि का उपयोग विद्यालयों द्वारा भवन की छोटी-मोटी मरम्मत हेतु किया जा रहा है।</p>
2	बालिकाओं को प्रोत्साहन हेतु प्रत्येक बालिका को 3000/- रुपये की एफ.डी. आर.	<p>केन्द्र प्रवर्तित बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं कस्तूरबागांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कक्षा 8 उत्तीर्ण समस्त बालिकाओं को जिनकी आयु 14 वर्ष से अधिक एवं 16 वर्ष से कम हो को प्रोत्साहन हेतु 3000/- रुपये की एफ.डी.आर. देय है। यह राष्ट्र में पहली बार लागू किया गया है। इसमें सत्र 2008-09 में 16057 बालिकाओं के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए जिसमें से भारत सरकार द्वारा 10373 एफ.डी.आर. ही प्राप्त हुई है, 2009-10 में 15178 बालिकाओं के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए जिसमें से भारत सरकार द्वारा 10083 एफ.डी.आर. ही प्राप्त हुई है। प्राप्त एफ.डी.आर. का जांच कार्य पूर्ण किया जाकर एफ.डी.आर. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को वितरित कर दी गई है। इसी प्रकार सत्र 2010-11 के लिए 14491 बालिकाओं के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए जिनकी एफ.डी.आर. अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। 2011-12 के लिए 16561 बालिकाओं के प्रस्ताव एफ.डी.आर. बनाने हेतु भारत सरकार को भिजवाए जा चुके हैं।</p>

3	सर्व विद्यालयों को पुरस्कार श्रेष्ठ को	वर्ष 2010 में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ रहें राजकीय विद्यालयों को योजना के तहत प्रत्येक जिले में से एक माध्यमिक तथा एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को 25 हजार, मण्डल स्तर पर एक माध्यमिक तथा एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को 40 हजार एवं राज्य स्तर पर एक माध्यमिक तथा एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को 50 हजार की राशि का पुरस्कार 03 फरवरी,2012 को दिया गया। पुरस्कार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा देय है।																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>स्तर</th> <th>माध्यमिक</th> <th>उच्च माध्यमिक</th> <th>प्रत्येक विद्यालय को देय राशि</th> <th>कुल राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>राज्य</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>50,000</td> <td>1,00,000</td> </tr> <tr> <td>मण्डल</td> <td>07</td> <td>07</td> <td>40,000</td> <td>5,60,000</td> </tr> <tr> <td>जिला</td> <td>27</td> <td>31</td> <td>25,000</td> <td>14,50,000</td> </tr> <tr> <td>योग</td> <td>35</td> <td>39</td> <td></td> <td>21,10,000</td> </tr> </tbody> </table>	स्तर	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	प्रत्येक विद्यालय को देय राशि	कुल राशि	राज्य	01	01	50,000	1,00,000	मण्डल	07	07	40,000	5,60,000	जिला	27	31	25,000	14,50,000	योग	35	39		21,10,000
स्तर	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	प्रत्येक विद्यालय को देय राशि	कुल राशि																							
राज्य	01	01	50,000	1,00,000																							
मण्डल	07	07	40,000	5,60,000																							
जिला	27	31	25,000	14,50,000																							
योग	35	39		21,10,000																							
4	इन्सपायर एवार्ड योजना	विज्ञान विषय को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रारम्भ इन्सपायर अवार्ड योजना अन्तर्गत सत्र 2011-12 हेतु कुल 9731 प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जा चुके हैं।																									
5	विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा	इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों हेतु लागू बीमा योजना का वर्ष 2011-12 की राशि 220.94 लाख जो राज्य सरकार से प्राप्त हुई जिसे निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधी विभाग, जयपुर को चालान द्वारा दिनांक 11.08.2011 को जमा करवाई गई। विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना नवीनीकरण दिनांक 15.08.2011 से 14.08.2011 तक हैं। इसी क्रम में बीमा विभाग, जयपुर से पॉलिसी जारी हो चुकी हैं।																									

## 5.नवीन नियुक्तियां, पदोन्नतियां एवं सृजित नवीन पदों का विवरण

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद	भरने के प्रयास
1-	प्रधानाचार्य एवं समकक्ष	3185	751	समस्त रिक्त पद डीपीसी के पद हैं। डीपीसी पर वर्तमान में रोक है। डीपीसी वर्ष 2004-05 तक सम्पन्न हुई है आगामी वर्षों की डीपीसी हेतु वज्रिशिअ पद की तथा प्रधानाचार्य के पदों की डीपीसी क्रमशः वर्षवार सम्पादित होने के उपरान्त की जानी संभव होगी।
2-	प्रधानाध्यापक एवं समकक्ष	8159	3250	—प्रधानाध्यापक के 2008-09 में सृजित 1265 पदों हेतु अर्थना दिनांक 25.06.2009 एवं 17.02.2010 को आक्षेप पूर्ती पश्चात् दिनांक 24.07.2009 को एवं 2009-10 के 915 कुल 2180 पदों में से 4 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रखते हुए कुल 2093 पदों की अर्थना दिनांक 07.04.2011 एवं संशोधित अर्थना दिनांक 28.04.2011 राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जा चुकी हैं। आयोग द्वारा 2093 पदों हेतु विज्ञप्ति दिनांक 30.04.2011 को जारी कर दी गई
3-	व्याख्याता / समकक्ष	21361	8550	नियमानुसार स्वीकृत पदों के 50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत डीपीसी से भरेजाने का प्रावधान है। —माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत 1622 व्याख्याता स्कूल शिक्षा के पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना भेजी गई, जिसमें से 1547 पदों की विज्ञप्ति जारी की गई, चयनित 1547 स्कूल शिक्षा व्याख्याताओं को नियुक्ति प्रदान कर दी गई हैं। साथ ही वर्ष 2004 के सीधीभर्ती के अंग्रेजी विषय के व्याख्याता के बकाया 75 आरक्षित पदों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के अवमाननावाद के कारण 38 पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई हैं। —पत्र क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/का/स/भ/6002/2011 दिनांक 13.04.2011 एवं संशोधित अर्थना दिनांक 29.07.2011 के द्वारा व्याख्याता स्कूल शिक्षा के वाणिज्य के 268, भौतिक के 134, रसायन के 134, गणित के 51 एवं जीव विज्ञान के 82 पद कुल 669 पदों की एवं उर्दु विषय के 02 पदों की संशोधित अर्थना दिनांक 01.06.2011 को एवं अंग्रेजी विषय के 167 पदों की संशोधित अर्थना दिनांक 16.09.2010 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को भेजी गई है। आयोग द्वारा उर्दु(02),अंग्रेजी(167), वाणिज्य(268), भौतिक विज्ञान(134),रसायन विज्ञान(134),गणित(51) एवं जीव विज्ञान(82)कुल 838 पदों हेतु विज्ञापन दिनांक 22.07.2011 को जारी कर दिया गया है। आयोग द्वारा 01 मार्च,2012 से 03 मार्च,2012 तक परीक्षा आयोजित की गई। व्याख्याता वाणिज्य के 150 पदों की सीधी भर्ती की अर्थना आयोग को भिजवाई जा चुकी है।
4-	शारीरिक शिक्षक ग्रेड-1 / समकक्ष	241	55	2007-08 तक के रिक्त पदों की डीपीसी करवा दी गई है। विद्यालयों में व्याख्याता शारीरिक शिक्षक का पद नियमों में एनकेडर नहीं होने के कारण आयोग द्वारा आगे पदोन्नति पर आपत्ति की गई है। इन पदों को नियमों में सम्मिलित करवाने हेतु राज्य सरकार को दिनांक 20.12.2007 द्वारा प्रस्ताव भिजवाए गए।

5-	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-1	40	21	वर्ष 2002-03 की डीपीसी की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड प्रथम का पद नियमों में एनकेडर नहीं होने के कारण आयोग द्वारा आगे पदोन्नति पर आपत्ति की गई है। इन पदों को नियमों में सम्मिलित करवाने हेतु राज्य सरकार को दिनांक 20.12.2007 द्वारा प्रस्ताव भिजवाए गए।
6-	वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-11/ समकक्ष	62128	25219	<p>— राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापकों के 8946 पदों हेतु आयोजित परीक्षा एवं परिणाम पश्चात् विभाग द्वारा गणित(1912), सिन्धी(08), संस्कृत(883), हिन्दी(992), उर्दू(58), सामाजिक विज्ञान(1009), अंग्रेजी(1923), विज्ञान(1925), पंजाबी(34) एवं गुजराती(05) कुल 8749 पदों पर पदस्थापन आदेश जारी किए जा चुके हैं। शेष रहे आवेदनों पर कार्यवाही प्रक्रियाधी है।</p> <p>—शिविरा/मा/संस्था/एफ-1/12102/11 दिनांक 13.04.2011 एवं 21.07.2011 के द्वारा व.अ.(द्वितीय वेतन श्रृंखला) के 11865 पदों की अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को प्रेषित गयी। अर्थना में विज्ञान,गणित,अंग्रेजी के प्रत्येक विषय के 2373 पद एवं आयोग की संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 28.07.2011 द्वारा हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक विषय के 2373 पदों की विज्ञप्ति प्रकाशित की गई। आयोग द्वारा दिनांक 07.12.2011 से 10.12.2011 तक परीक्षा आयोजित की जा चुकी है एवं समस्त विषयों का परिणाम घोषित किया जा चुका है।</p> <p>—वरि.अध्यापक प्रारंभिक के 8643 पदों हेतु आयोग द्वारा दिनांक 01.08.2011 को विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी गई है। राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के अन्तर्गत कार्यवाही पर स्थगन है।</p>
7-	शारीरिक शिक्षक ग्रेड-11/ समकक्ष	1597	537	<p>शाशि ग्रेड द्वितीय के बेकलॉग के 62 द्वितीय वेतन श्रृंखला के रिक्त पदों हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयन परीक्षा आयोजित किये जाने के पश्चात् परिणाम दिनांक 29.10.2010 को घोषित किया जा चुका है। दिनांक 24.12.2010 को आवेदन पत्र एवं सूची निदेशालय को प्राप्त हुई परन्तु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पुनः आवेदन पत्र मंगवाए जाने के कारण विभाग द्वारा आयोग को समस्त रिकार्ड भिजवाया जा चुका है। कार्यवाही आयोग स्तर पर ही प्रक्रियाधीन है।</p> <p>शा.शि. ग्रेड द्वितीय के 230 पदों हेतु आयोग को दिनांक 15.10.2009 को अर्थना भिजवाई जा चुकी है। शा. शि. ग्रेड द्वितीय के सीधी भर्ती के रिक्त 230 पदों हेतु आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है।</p>
8-	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-11	460	260	राजस्थान शिक्षा अधिनस्थ सेवा नियम 1971 में उक्त पद संवर्गित नहीं होने के कारण यह पद विभाग में एनकेडर नहीं है। इस हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव दिनांक 20.12.2007 को प्रेषित किये जा चुके हैं। स्वीकृति प्राप्त होने पर उक्त पद भरने की कार्यवाही संभव होगी।
9-	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-11/ समकक्ष	1115	322	राजस्थान शिक्षा अधिनस्थ सेवा नियम 1971 में उक्त पद संवर्गित है परन्तु इन पदों से सम्बन्धित कॉलम संख्या 09 में "वर्तमान पदाधिकारियों के पदोन्नत होने अथवा सेवा निवृत्त होने पर इस पद पर आगे कोई भर्ती नहीं की जावेगी" अंकित है। अतः पदोन्नति या सीधी भर्ती संभव नहीं है।

10-	अध्यापक-III / समकक्ष	12583	4644	अध्यापक-III के नियुक्ति अधिकारी निदेशक प्रारंभिक शिक्षा है। प्रारम्भिक शिक्षा से जिले वार रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु अध्यापक उपलब्ध करवाने हेतु निरन्तर निवेदन किया जा रहा है।
11-	शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III / समकक्ष	3312	273	-405 तृतीय वेतन श्रृंखला के रिक्त पदों हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयन परीक्षा आयोजित किये जाने के पश्चात परिणाम दिनांक 29.10.2010 को घोषित किया जा चुका है। दिनांक 24.12.2010 को आवेदन पत्र एवं सूची निदेशालय को प्राप्त हुई परन्तु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पुनः आवेदन पत्र मंगवाए जाने के कारण विभाग द्वारा आयोग को समस्त रिकार्ड भिजवाया जा चुका है। कार्यवाही आयोग स्तर पर ही प्रक्रियाधीन है। -शाशि अनुदेशक ग्रेड-III के सीधी भर्ती के रिक्त 1303 पदों की आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है।
12-	प्रयोगशाला सहा. ग्रेड-III	1420	400	राज्य सरकार के द्वारा नव सृजित प्रयोग शाला सहायक ग्रेड के 766 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
13-	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III / समकक्ष	2133	156	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड तृतीय के वर्तमान रिक्त पदों तथा 2011-12 में संभावित रिक्तियों को शामिल करते हुए भर्ती की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को पत्र दिनांक 06.04.2011 को प्रेषित किया गया। राज्य सरकार के द्वारा इस सम्बन्ध में कुछ बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है जो अधिनस्थ कार्यालयों से सम्बन्धित होने के कारण मगवाई गई है।
14-	कार्यालय अधीक्षक / समकक्ष	43	24	रिक्त पद शतप्रतिशत पदोन्नति द्वारा ही भरे जाने हैं। राज्य सरकार से डीपीसी के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय प्राप्त होने पर निदेशालय स्तर पर डीपीसी सम्पादित कर पद भरे सकेंगे।
15-	कार्यालय सहायक	856	255	रिक्त पद शतप्रतिशत पदोन्नति द्वारा ही भरे जाने हैं। राज्य सरकार से डीपीसी के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय प्राप्त होने पर उप निदेशक कार्यालय स्तर पर डीपीसी सम्पादित कर पद भरे जा सकेंगे सकेंगे।
16-	वरि.लिपिक / समकक्ष	5907	1014	रिक्त पद शतप्रतिशत पदोन्नति द्वारा ही भरे जाने हैं। राज्य सरकार से डीपीसी के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय प्राप्त होने पर उप निदेशक कार्यालय स्तर पर डीपीसी सम्पादित कर पद भरे जा सकेंगे सकेंगे।
17-	कनि.लिपिक / समकक्ष	5448	135	85 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं एवं 15 प्रतिशत पद सहायक कर्मचारियों में से वरिष्ठता के आधार पर विभागीय
18-	प्रयोगशाला बालक	1470	169	उक्त पद चुकि वेतन श्रृंखला 01 से 06 पद में समाहित होने के कारण नियुक्ति पर रोक होने से नियुक्ति की कार्यवाही संभव नहीं है।
19-	जमादार / समकक्ष	952	253	डीपीसी पर रोक के कारण पदोन्नति की कार्यवाही संभव नहीं है।
20-	सहा.कर्मचारी / समकक्ष	13869	1193	उक्त पद चुकि वेतन श्रृंखला 01 से 06 पद में समाहित होने के कारण नियुक्ति पर रोक होने से नियुक्ति की कार्यवाही संभव नहीं है वर्तमान में केवल अनुकम्पा नियुक्ति के पद ही सीधी भर्ती से भरे जा रहे हैं।

विभाग में अबतक सम्पादित डीपीसी / पदौन्नतियां वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	संवर्ग का नाम	डी.पी.सी.का वर्ष	
1.	अतिरिक्त निदेशक	2010-2011	
2-	संयुक्त निदेशक / समकक्ष	2009-2010	नोट : पूर्व में की गई 2010-11 की डीपीसी आदेश को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प2(6)शिक्षा-2/2007 दिनांक 22.12.2010 द्वारा प्रत्याहरित किए गए।
3-	उप निदेशक / समकक्ष	2009-2010	
4-	जि.शि.अ. / समकक्ष	2009-2010	
5-	प्रधानाचार्य / समकक्ष	2004-2005	
6-	वरि.उप.जि.शि.अधिकारी / समकक्ष	2003-2004	राज्य सरकार के आदेश की पालना में 2004-05 की डीपीसी आदेश प्रत्याहरित किया गया।
7-	उप.जि.शि.अधिकारी(शा.शि)	2010-2011	
8-	प्रधानाध्यापक	2002-2003	
9-	राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष	2010-2011	
	<b>व्याख्याता:- विषयवार</b>	<b>पुरुष</b>	<b>महिला</b>
1	हिन्दी	2008-2009	2002-2003
2	अंग्रेजी	2008-2009	2001-2002
3	संस्कृत	2003-2004	2002-2003
4	उर्दू	2004-2005	2003-2004
5	पंजाबी	2002-2003	1998-1999
6	राजस्थानी	2004-2005	2001-2002
7	गुजराती	2002-2003	--
8	सिंधी	2004-2005	2001-2002
9	समाज शास्त्र	2003-2004	2003-2004
10	इतिहास	2006-2007	2002-2003
11	रा० शास्त्र	2008-2009	2009-2010 राज्य सरकार के आदेश की पालना में डीपीसी के आदेश प्रत्याहरित किए गए।
12	भूगोल	2002-2003	2001-2002

13	अर्थशास्त्र	2009-2010	2002-2003
14	लोक प्रशासन	2005-2006	--
15	शा0 शिक्षक	2007-2008	2009-2010
16	गृहविज्ञान	--	2001-2002
17	पुस्तकालयाध्यक्ष	2002-2003	--
18	एस.डी.आई.	1997-1998	1997-1998
19	भौतिक	2010-2011	2000-2001
20	रसायन	2002-2003	2003-2004
21	गणित	2001-2002	1997-1998
22	जीव विज्ञान	1999-2000	1995-1996
23	वाणिज्य	2001-2002	2002-2003
24	चित्रकला	2009-2010	1990-1991
25	संगीत	--	1997-1998
26	कृषि	1980-1981	--

**मंडलवार डी.पी.सी. की स्थिति :-**

क्र.सं.	मण्डल	सेटअप	व.अध्यापक	शा.शिक्षा- II	पु. अध्यापक- II	का.सहायक	वरिष्ठ लिपिक
1.	जयपुर	पुरुष महिला	2007-2008 2007-2008	2007-2008 2007-2008	2001-2002	2009-10	2008-09
2.	जोधपुर	पुरुष महिला	2007-2008 2007-2008	2007-2008 2007-2008	1998-1999	2007-08	2007-08
3.	चूरु	पुरुष महिला	2007-2008 2007-2008	2007-2008 2007-2008	1999-2000	2008-09	2008-09
4.	उदयपुर	पुरुष महिला	2007-2008 2007-2008	2007-2008 2007-2008	2005-2006	2009-10	2009-10
5.	कोटा	पुरुष महिला	2007-2008 2007-2008	2007-2008 2007-2008	2006-2007	2010-11	2010-11
6.	अजमेर	पुरुष महिला	2007-2008 2007-2008	2007-2008 2007-2008	2001-2002	2010-11	2010-11

**6 वर्तमान सरकार के कार्यकाल (13 दिसम्बर, 2008 से 31 मार्च, 2012 तक) तुलनात्मक प्रगति**

गत सरकार के कार्यकाल (8 दिसम्बर, 2003 से नवम्बर, 2008) एवं वर्तमान सरकार के कार्यकाल (13 दिसम्बर, 2008 से 31 मार्च, 2012)में **माध्यमिक शिक्षा** की तुलनात्मक प्रगति।

क्र. स.	मद	इकाई	08 दिसम्बर 2003 से 30 नवम्बर 2008 तक	13 दिसम्बर 2008 से 31 मार्च, 2012 तक
1.	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में क्रमोन्नयन	विद्यालय संख्या	4022	1910
2.	माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नयन	विद्यालय संख्या	1057	04
3.	वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड II नियुक्ति	अध्यापक संख्या	2359	8283
4.	शारीरिक शिक्षक ग्रेड- II नियुक्ति	अध्यापक संख्या	--	--
5.	व्याख्याता स्कूल शिक्षा नियुक्ति	अध्यापक संख्या	1500	1584
6.	प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा नियुक्ति	अध्यापक संख्या	525	--
7.	<b>निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण</b>			
	(अ) छात्र-छात्राओं की संख्या		2,57,06,112	3,13,06,112
	(ब) वितरित पुस्तकों की संख्या		1,11,90,954	3,94,79,518
	(स) कुल राशि	करोड में	49,47,75,494	1,03,26,77,070.00
8.	<b>छात्रवृत्ति</b>			
	(अ) अनुसूचित जाति	करोड में	51.24 Cr.	78.62 Cr.
	(ब) अनुसूचित जनजाति	करोड में	14.64 Cr.	28.90 Cr.
	(स) ओ.बी.सी.	करोड में	1.69 Cr	18.50 Cr
	(द) अस्वच्छकार	करोड में	--	35.08 Cr.
	(य) अल्पसंख्यक	करोड में	--	7.86 Cr.
	(र) विशेष पिछड़ा वर्ग	करोड में	1.77 Cr.	0.26 Cr.
	(ल) अन्य	करोड में	135.56 Cr.	272.06 Cr.
	कुल योग	करोड में	66.22 Cr.	260539
9.	साईकिल वितरण	संख्या	29651	115958
10	ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना	संख्या	19816	15.42 Cr.
11	गार्गी पुरस्कार एवं प्रोत्साहन पुरस्कार	करोड मे	46787	102.84 Cr.
12	बालिका छात्रावास	संख्या	--	186 प्रस्तावित
13	मॉडल स्कूल स्थापना	संख्या	--	186 प्रस्तावित
14	माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर	संख्या	--	1677
15	गैर सरकारी विद्यालयों को मान्यता (माध्यमिक)	विद्यालय	5295	4371
16	गैर सरकारी विद्यालयों को मान्यता(उमावि)	विद्यालय	2218	2674
17	शिक्षक पुरस्कार	अध्यापक	302	182
18	खेलकूद प्रतियोगिताओं में उपलब्धियां(पदक सं.)	पदक	148	120
19	भामाशाह योजना – सम्मानित भामाशाह	व्यक्ति	183	143
	सहयोग राशि	करोड में	3608.81	2080.93
20	<b>सर्वश्रेष्ठ राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को पुरस्कृत करने की योजना</b>			
	(अ)माध्यमिक विद्यालयों की संख्या		--	108
	कुल राशि	करोड में		30.90 Lac.
	(ब)उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या		--	118
	कुल राशि	करोड में		33.40 Lac.
21	विद्यार्थी दुर्घटना बीमा लाभान्वित विद्यार्थी			
	क्लेम राशि	करोड में		
22	<b>उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खोले गये कुल संकाय एवं विषय</b>			
	(अ) कला		--	
	(ब) विज्ञान +कृषि विषय		--	279+34
	(स) वाणिज्य		--	187
	(द) अतिरिक्त विषय		--	268

7. वर्ष 2011-12 के महत्वपूर्ण वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य

ANNUAL PLAN 2011-12						
Office of the Director Secondary Education Rajasthan, Bikaner						
Monthly Financial Progress Report upto the month Feb. 2012 (State Plan)						
(R.s In Lakh)						
Sr.No.	Name of Scheme	Budgeted Outlay	Revised budget	Exp. during the month	Exp. Upto the month	Reasons of Shortfall /Excess
1	Estab. of DD Office Bharatpur /Strengthening of Directorate	16.00	27.00	0.04	15.06	
2	Purchase of New Vehicle/Hire private Vehicle	1.50	7.01			
3	State level Ministerial Award	0.60	1.00		0.58	
4	Computerisation of Education	9.00	9.00	0.29	6.73	
5	Inspection (Jeep Rent)	6.00	10.50	1.07	5.85	
6	Incentives for Meritorious Girls	400.00	502.80		400.00	
7	Bank F.D.for Girls class 9 to 12	1.00	1.00	0.04	0.10	
8	Talent Scholarship for X th SC/ST Girls of Rural Areas	0.01	0.50			
9	District Computer Centre	16.50	16.50	1.14	6.09	
10	Teacher Education (Teacher Training)	3.00	3.00		1.15	
11	SC Student Scholarship	500.00	840.50	41.81	475.60	
12	ST Student Scholarship	500.00	768.50	72.74	446.17	
13	OBC Student Scholarship	290.00	400.00	4.50	4.50	
14	Pre-kargil Scholarship	2.00	2.00	0.12	0.25	
15	Pre-matric Scholarship for Miniorties Students	200.00	518.61	46.24	46.24	
16	Pre-matric Scholarship for vLoPNdkj dk;Zjr	111.00	111.00	1.92	78.34	
17	Pre-matric Scholarship for S.O.B.C	10.00				
18	Const. School and Office Building	25.00	25.00			
19	Establishment of Girls Hostel	16.00	20.00	1.83	8.41	
20	Up gradation of UPS to SS	15000.28	21389.46	1704.54	14197.26	
21	Up gradation of SS to Sr. SS	6000.00	7150.00	643.32	6917.29	
22	Add. Faculty & Subject	50.00	243.32	9.13	36.82	
23	Teacher of Language Minority	10.00	15.00	4.32	20.56	
24	I.C.T 25% State Share	2468.28	2000.00	20.35	662.31	
25	Cycle distribution for rural girls	800.00	3498.22	1361.02	1954.00	
26	Transport Voucher for Girls	100.00	150.00	4.71	86.29	
27	Deaf Dumb & Blind School	50.00	60.00	2.97	47.03	
28	Physicle Edu. Under NSS	156.50	156.50		68.96	
29	English Integrated Shiksha 50% S.S	5.00	5.00			
30	National Telent Scholorship	10.00	10.00			
31	Student Insurance		220.94		220.94	
32	IEDSS	9.00	37.64			
33	Estab. of DEO Office Pratapgarh	30.00	39.00		27.43	
34	RMSA 25% State share	12290.72	18152.69	4021.36	5786.71	
35	Construction of girls hostel in backward area	276.50	276.50	22.06	183.27	
36	Construction of girls hostel in Mewat area	23.50	23.50	23.50	23.50	
37	Establishment of Model school	2500.00	3637.07		1969.00	
38	Sainik School Chittorgarh		119.00		119.00	
39	Culture Education of School		25.08			
	Reimbursement of B Ed-/B Stc Widow/Divorcee		101.03			
	<b>TOTAL SEC. EDUCATION</b>	<b>41887.39</b>	<b>60573.87</b>	<b>7989.02</b>	<b>33815.44</b>	
	Computerisation of Sec. Edu.	0.01	0.01			
	Education Voucher Scheme (PPP)	0.01	0.01			
	NABARD (RIDF) Loan XI	0.01	0.01			
	<b>PHYSICAL EDUCATION</b>					
1	Providing Sports material and develop of Play fields	8.00	8.00	0.73	2.30	
2	State Level Schorship for National/International Runner/Winner	5.00	5.00	0.00	2.90	
3	State level Ministerial Games and Tournament	2.00	2.00	0.40	1.12	
	<b>Total Physical Education</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>1.13</b>	<b>6.32</b>	

Annual Plan 2011-12																
Statement Showing Expenditure & Release Position Under centrally Sponsored Schemes/ SCA																
Office of the Director of Secondary Education, Rajasthan, Bikaner - Performa-II																
Scheme	Through Budget/out Side Budget	Funding pattern	Position As on 01.04.11			2011-12								Position as on 29-2-2012		
			Pending to be received from GOI	Unspent Balance of		Latest Outlay		Central Share Released by			State share Released	Expenditure Up to the Month 2/12		Pending to be received from GOI	Un spent balance of	
				central share	State share	central Share	state Share	Govt. of India to		Govt of Raj. To Deptt.		central share	State share		central share	State share
								Govt of Rajasthan	Deptt.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
English integrated Shiksha	T.B.	50%	3.00			6.30	5.00					5.44		-8.44		
Award to Scholarship to Student of higher / high School studing Sanskrit.	T.B.	100%		1.10		0.01									1.10	
Estt. of I.A.S.E. / C.T.E.	T.B.	100%		7.51		485.83		464.14				288.68			182.97	
Computrisation of IASE/CTE	T.B.	100%		44.00		132.00		88.00							132.00	
Dist. center for English	T.B.	100%		2.12		14.00			30.50						32.62	
Upgrading of merit of SC/ST	T.B.	100%		17.52		22.75		15.46							32.98	
Pre-matric Scholarship for OBC Students	T.B.	50%		0.75		400.00	400.00	309.65				45.70	4.50		264.70	
Information & Communication Technology	T.B.	75%		1623.10		6000.00	2000.00					1199.42	662.31		423.68	
N.S.S	T.B.	7;5		15.33		219.00	156.50	96.54				96.54	68.96		15.33	
National MeansCum Merit Scholarship Scheme	OB	100%													0.00	
National Scheme of Intencive to girls for Sec. Edu. Implement Regarding	T.B.	100%		0.51		510.00									0.51	
Pre-matric Scholarship for Miniorties Students	T.B.	90%	0.00	64.31		1555.83	518.61	1013.60				193.39	46.24		884.52	
I.E.D.S.S. (Inclusive Edu. of the Disable at the Sec. Stage 300 Student @ 3000 Pear year per student	T.B.	90%	48.22			379.69						91.98		-140.20		
RMSA	O.B.	75%		1811.18	-286.60	54458.07	18152.69		14689.09		5786.74	6450.98	3370.09		10049.29	
Scheme for Construction & Running of girls hostel for student of Sec. & Hr. Sec. schools (186)	T.B.	90%		3203.97	195.33	2488.50	276.50	1649.46			183.27	3409.73	378.86		1443.70	
186 Panchyat Simatee Model school	O.B.	75%		3265.00	1088.00	10911.21	3637.07		10898.00		1969.00	6239.78	2079.92		7923.22	
Gaynoday yojana	O.B.	100%				0.01									0.00	
English language Teacher Institute	T.B.	100%													0.00	
Pre-matric Scholarship for Un Clean	T.B.					1779.79	111.00	284.00					86.42		284.00	
Total			51.22	10056.40	996.73	79362.99	25257.37	3920.85	25617.59	0.00	7939.01	18021.64	6697.30	-148.64	21670.62	0.00

**माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट वर्ष 2011-12 में विभाग से संबंधित की गयी घोषणाओं की क्रियान्विति**  
**दिनांक 20.3.2012 तक**

घो सं	घोषणा	घोषणाओं की क्रियान्विति
133	<p>माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को देखते हुए, प्रधानाध्यापक, स्कूल व्याख्याता, अध्यापक ग्रेड-1A एवं प्रयोगशाला सहायक के कुल 25 हजार 406 नये पद स्वीकृत करने की मैं घोषणा करता हूँ।</p>	<p>राज्य सरकार के आदेश प.22(1) शिक्षा-1/2010 दिनांक 6.4.2011के द्वारा विभिन्न केडर के 25406 पदों का सृजन किया गया मदवार पदों के सृजन की स्वीकृति प्राप्त । आदेश में उल्लेखित निर्देशानुसार सीधी भर्ती के पदों की भर्ती हेतु आरपीएससी अजमेर को निम्न प्रकार से अर्थना भिजवाई :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● प्रधानाध्यापक 2093 पदों हेतु शिविरा-मा/संस्था/ बी-3/अर्थना/05-06 दिनांक 28.4.2011 जिसका सहमति पत्र दिनांक 1.6.2011 को आरपीएससी अजमेर को प्रेषित कर दिया गया है ।</li> <li>● व्याख्याता स्कूल शिक्षा विभिन्न विषय के 665 पद शिविरा-माध्य/संस्था/ओएससी/सीभ/6002/2011 दिनांक 13.4.2011</li> <li>● अध्यापक ग्रेड-1A हेतु शिविरा-माध्य/संस्था/ एफ-1/ 12102/11 दिनांक 13.4.2011 के द्वारा 10107 पदों की अर्थना आरपीएससी को भेजी गई। आरपीएससी अजमेर द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई । तथा राज्य सरकार द्वारा सृजित दिनांक 14.7.11 के पदों में से सीधी भर्ती के 915 पदों की अर्थना पत्रांक शिविरा-मा/संस्था/एफ-1/12102 दि: 21.7.11 को प्रेषित की जा चुकी हैं ।</li> <li>● प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-1A के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के मध्य भर्ती प्रक्रियाधीन हैं ।</li> </ul>
135	<p>आगामी वर्ष से ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को, अपने रहवासवाले गाँव के अतिरिक्त अन्य स्थान पर राजकीय विद्यालयों में आठवीं कक्षा पास करके कक्षा-9 में प्रवेश लेने पर साइकिल योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जायेगा। पूर्व में इस योजना के अंतर्गत दसवीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को ही यह सुविधा उपलब्ध थी। साइकिलों हेतु छात्राओं के अंशदान की राशि 300 रुपये से घटाकर 100 रुपये की जायेगी। छात्राओं को साइकिल योजना के स्थान पर ट्रान्सपोर्ट वाऊचर योजना का लाभ लेने का भी विकल्प दिया जायेगा। साइकिल योजना में इन प्रावधानों के परिणाम स्वरूप आगामी वर्ष कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत लगभग 1 लाख 42 हजार छात्राओं को लाभान्वित किया जायेगा, जिस पर 28 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय होगा।</p>	<p>कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली छात्राओं के लिये साइकिल वितरण योजना के संशोधित दिशा-निर्देश दिनांक 17.3.3011 को जारी कर दिये गये हैं। माध्यमिक शिक्षा द्वारा न्यूनतम निविदादाता मैसर्स एस.के.बाईक्स, लुधियाना की 2485 रुपये प्रति साइकिल की न्यूनतम दर होने के फलस्वरूप कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। 141194 साइकिल वितरण के लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 141194 साइकिलों का वितरण किया जा चुका है। शेष वितरण की कार्यवाही प्रगति पर है।</p>

136	<p>राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना संचालित है। वर्तमान में योजना में आठवीं तक के विद्यार्थियों का 20 हजार रुपये का एवं कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों का 50 हजार रुपये का बीमा किया जाता है। आगामी वर्ष से कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों का 1 लाख रुपये का बीमा किया जायेगा।</p>	<p>विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार से राशि 220.94 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। सा. बी.नि.विभाग को राशि का आहरण कर चालान संख्या 3724 दिनांक 11.8.2011 से जमा करवा दी गई है। इस प्रकार घोषणा की क्रियान्विति पूर्ण की जा चुकी है।</p>
138	<p><b>Right to Education Act, 2009</b> के 1.अप्रैल 2010 से लागू होने के प्रश्चात NCTE के निर्देशानुसार केवल प्रशिक्षित कार्मिकों को ही अध्यापकों के पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। इसके कारण अधिकांश विधवा अथवा परित्याक्ता महिलाएँ जो बी०एस०टी०सी अथवा बी०एड उत्तीर्ण नहीं हैं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों पर नियुक्त नहीं की जा सकती है ऐसी महिलाओं हेतु विधवा/परित्याक्ता मुख्य मंत्री संबल योजना चलाई जाकर उन्हें सरकारी खर्च पर बी०एस० टी०सी अथवा बी०एड की योग्यता अर्जित करने की सुविधा दी जायेगी</p>	<p>प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा जयपुर के आदेश प 7 (4) प्रशि/आयो/2011 दिनांक 12/13.9.2011 के द्वारा स्कीम क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी तदनुसार विभाग द्वारा दिनांक 27.9.2011 के द्वारा समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) को इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने हेतु पत्र विधवा/परित्यक्ता महिलाओं के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया। पत्रांक दिनांक 2.11.2011 के द्वारा समन्वयक (पीटीईटी) जयनारायण व्याव विश्वविद्यालय जोधपुर को पात्र महिलाओं की सूची भिजवाने हेतु लिखा गया। योजना अनुभाग द्वारा प्रशिक्षण अनुभाग से राज्य सरकार की प्रशासनिक स्वीकृतिपरान्त राशि स्वीकृत की कार्यवाही की जानी है।</p>
139	<p>अध्यापक ग्रेड-1 के उर्दू शिक्षकों के 62 रिक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष अध्यापक तृतीय श्रेणी के 500 पदों पर उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी।</p>	<p>वर्ष 2008 में 60 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा 55 अभ्यर्थी उपलब्ध करवाये गये हैं, जिन्हें नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, शेष 05 के आवेदन पत्र अभी आने शेष है। —अध्यापक श्रेणी तृतीय श्रेणी के 500 पदों पर उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा सम्पादित होनी है।</p>
140	<p>शिक्षा की दृष्टि से राज्य के पिछड़े हुए 186 ब्लॉक्स जिनके ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता की दर कम है तथा जेन्डर गैप अधिक है, में से 134 ब्लॉक्स में मॉडल स्कूलों का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जायेगा। इन मॉडल स्कूलों के निर्माण पर लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।</p>	<p>के०प्र०योजनान्तर्गत संचालित स्कीम के लिए घोषणा के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2010-11 में के०प्र०यो में 3265.00 लाख तथा राज्याशं के 1088.00 लाख रुपये रा०मा०शि०परिषद जयपुर के निजी निक्षेप खाते में स्वीकृत तथा वर्ष 2011-12 में राज्याशं के लिए 2500.00 लाख रुपये का प्रावधान उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा आयोजना मद में 1969.00 लाख रु. रा.मा.शि.परिषद, जयपुर के निजी निक्षेप खाते में जमा किये जा चुका है। योजना का क्रियान्वयन राज्य परियोजना निदेशक, रा.मा.शि. परिषद जयपुर द्वारा किया जाता है।</p>